





लूट की छूट

**भाजपा की जयराम सरकार
के खिलाफ चार्जशीट**



हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी





चाल, चरित्र और चेहरा तीनों बेनकाब

पांच साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी तो उसने हिमाचल की जनता को 'भ्रष्टाचार और माफ़िया राज से त्रस्त हिमाचलियों को सुशासन' देने का वादा किया था। वैसे तो इस वादे की कलई उसी दिन खुल गई थी जिस दिन राज्य पर एक कमज़ोर, अनुभवहीन और रीढ़विहीन व्यक्ति जयराम ठाकुर को मुख्यमंत्री बनाया था। पांच साल में जयराम ठाकुर मात्र एक कठपुतली मुख्यमंत्री साबित हुए। उनको नचाने वाले हाथ दिल्ली में बैठे थे और वे उनके ही इशारे पर काम करते रहे। एक तरह से उन्होंने हिमाचल को शर्मिंदा किया और अब तक के सबसे कमज़ोर मुख्यमंत्री साबित हुए। इतने कमज़ोर कि पांच साल की सरकार चलाने के बाद चुनावी प्रचार में उन्हें अपने आकाओं के चेहरों पर चुनाव लड़ना पड़ रहा है।

जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा की सरकार ने पांच साल में अपने वादों के उलट ही सारे काम किए हैं। भाजपा का घोशणा पत्र 'स्वर्णिम हिमाचल दृष्टि पत्र 2017' के पन्नों को पलटकर देखिए तो पता चलता है कि भाजपा ने मानों कसम खा रखी थी कि जो कुछ करेंगे इसके उलट करेंगे।

भाजपा ने कांग्रेस की सरकार पर 'भ्रष्टाचार' का आरोप लगाया था और 'माफ़िया राज' चलाने का भी। लेकिन पांच साल की भाजपा सरकार ने खुद भ्रष्टाचार के नए आयाम स्थापित किए हैं और ज़मीन, वन, नशीली दवा से लेकर खनन तक हर माफ़िया को गोद में बिठाकर पांच साल सरकार चलाई है। भाजपा के मंत्रियों का कामकाज, उनकी संपत्ति और उनकी दोस्ती देखकर पता ही नहीं चलता कि कहीं वे खुद ही तो माफ़िया नहीं हो गए।

पुलिस भर्ती पेपर लीक से हर जगह हुई भर्तियों की बात करें, कोरोना के दौरान पीपीई किट से लेकर दवाओं की ख़रीद में धांधली की बात करें, राशन वितरण घोटाले की या फिर किसी भी विभाग के ठेके टेंडरों की गड़बड़ियों की, हर जगह घोटाला है, धांधली है और भारी लेनदेन का मामला है।


भाजपा की पांच साल की सरकार ने बेरोज़गारों को, बागवानों को, किसानों को, सरकारी कर्मचारियों को, महिलाओं को और यहां तक कि इस वीर भूमि के सैनिकों तक को धोखा दिया है। कुल मिलाकर ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा ने ठगा नहीं।

भाजपा के पांच साल का कच्चा चिट्ठा बनाने बैठें तो कई ग्रंथ लिखने होंगे। लेकिन भाजपा का चाल, चरित्र और चेहरा तीनों बेनकाब करने वाला कांग्रेस का यह आरोप पत्र पांच साल की चुनिंदा और बड़ी विफलताओं का लेखा जोखा है। हम जनहित में इसे जारी कर रहे हैं जिससे कि जनता अगली बार ठगे जाने से पहले इनकी असलियत जान सके। हम चाहते हैं कि एक कठपुतली मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का नाम इतिहास में एक कमज़ोर, निर्णय लेने में अक्षम और भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाले मुख्यमंत्री के रूप में दर्ज हो।

— राजेश धर्मानी

अध्यक्ष, आरोप पत्र समिति

हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी



झूठे वादों और कुप्रबंधन के पांच साल

भाजपा ने सरकार बनाने से पहले सुशासन के लिए जो वादे किए थे वे सब के सब विफल हुए हैं। शीर्ष के दस उदाहरण देखिए,

क्रम	भाजपा के दृष्टि पत्र का वादा	पाँच साल का सच
1	सभी मंत्रियों द्वारा मासिक जनमंच का आयोजन	कभी नहीं हुआ
2	मुख्यमंत्री की देखरेख में 'व्यय नियंत्रण आयोग'	बेहिसाब खर्च हुआ
3	सभी राशन दुकानों पर 'जन अधिकार पुस्तिका'	आज तक किसी ने नहीं देखा
4	हर पंचायत और वार्ड में 'जन अधिकार कियोस्क'	ये क्या होता है, क्या पता
5	हर विभाग की नीति के लिए 'लोक पत्र'	नीति का ही अता पता नहीं
6	प्रशासन में पारदर्शिता हेतु 'अशनलाइन पोर्टल'	पारदर्शिता? वो क्या है?
7	सभी रिक्त सरकारी पदों पर नियुक्तियां	67,000 पद खाली पड़े हैं
8	भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए 'अटल हेल्पलाइन'	ख़बरदार जो शिकायत की!
9	ई-टेंडर अनिवार्य कर दिए जाएंगे	टेंडर करना ही बंद कर दिया
10	सभी विधायक अपनी संपत्ति घोषित करेंगे	भाजपा का सबसे बड़ा जोक


सच दरअसल यह है कि भाजपा जो दृष्टि पत्र जारी करती है वह, जैसा कि उनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान केंद्रीय गृहमंत्री कहते हैं, 'चुनावी जुमले' का पुलिंदा होता है।

वित्तीय कुप्रबंधन

पिछली सरकार को भाजपा ने 'अनियोजित व्यय और ख़राब वित्तीय प्रबंधन' के लिए दोषी ठहराया था और कहा था कि सरकारी ख़जाने पर पड़ी भारी मार को सुधारने के लिए भाजपा सभी ज़रूरी कदम उठाएगी।

सच इसके एकदम उलट है। महालेखाकर (सीएजी या कैंग) की रिपोर्ट बताती है कि भाजपा के कार्यकाल में पांच साल इतने बुरे रहे कि इन पांच सालों में सरकार ने 51 प्रतिशत अधिक कर्ज़ लिया है। इन पांच वर्षों में सरकार पर कर्ज़ का बोझ बढ़कर 62,000 करोड़ से अधिक हो गया है। आसान शब्दों में कहें तो जयराम ठाकुर की सरकार ने हिमाचल के हर नागरिक पर डेढ़ लाख का कर्ज़ लाद दिया है।

इन पांच वर्षों में सरकारी खर्चों में भी बेहिसाब बढ़ोत्तरी हुई है और जनता पर आर्थिक बोझ लगातार बढ़ा है जबकि मंत्री और भाजपा के नेता ठेकों और कमीशन के दम पर लगातार मालदार हुए हैं। लोग जानते हैं कि मंत्रियों ने किस तरह से नए कारोबार शुरू किए हैं, किस तरह से उनके साधारण दिखने वाले घर आलीशान महलों में बदल गए हैं।



डबल इंजन का कमाल महंगाई मार गई

भाजपा के केंद्रीय नेताओं और राज्य के नेताओं ने जनता के बीच 'डबल इंजन की सरकार' का खूब राग अलापा है। वे जनता को बताते रहे हैं कि अगर केंद्र और राज्य दोनों में ही एक ही पार्टी की सरकार रहेगी तो विकास की गति बढ़ेगी और जनता को लाभ होगा। लेकिन हर मोर्चे पर यह डबल इंजन की सरकार ने जनता को धोखा दिया है।

महंगाई इसका सबसे बड़ा उदाहरण है।


पेट्रोल के दाम 2013-14 में 67 रुपए प्रति लीटर के आसपास थी जो अब बढ़कर 97।50 तक पहुंच गई है। डीजल के दाम भी इसी तरह से बढ़े हैं।

रसोई का हर सामान पिछले पांच साल में इतना बढ़ गया है कि यह कल्पना करना मुश्किल है कि एक सामान्य परिवार अपनी सीमित आय में घर का खर्च किस तरह से चला रहा होगा।

गब्बर सिंह टैक्स यानी जीएसटी की मार

उदाहरण के तौर पर रसोई गैस के दाम 450 रुपए से बढ़कर 1100 रुपए तक जा पहुंचे हैं। सरसों का तेल दोगुना महंगा होकर 200 रुपए लीटर तक जा पहुंचा है। ब्रेड जैसी साधारण चीज़ 25 रुपए से बढ़कर 45 रुपए पैकेट हो गया है। भाजपा सरकार ने आटा, दूध और दही तक सब पर जीएसटी लगाकर महंगा कर दिया है। दाल से लेकर मसालों तक सब पर जीएसटी की मार पड़ रही है।

महंगाई का डबल इंजन इस तरह से काम कर रहा है कि एक तो पेट्रोल डीजल महंगा होने से माल दुलाई महंगी हो गई है और हर चीज़ की कीमतें बढ़ गईं। दूसरा भाजपा सरकार ने अधिकांश चीज़ों पर जीएसटी लगा दिया जिससे फिर कीमतें बढ़ गईं। कई वस्तुओं पर तो दोहरा जीएसटी लग गया। जैसे कि आटे, तेल और घी पर जीएसटी अलग फिर रोटी और परांठे पर जीएसटी अलग। यह है दरअसल भाजपा का डबल इंजन।



बेरोज़गारी से बेहाल हिमाचल

वादा तो यह था कि हर साल दो करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे। वो 'चुनावी जुमला' निकला और कभी पूरा नहीं हुआ। फिर 2017 के चुनाव में भाजपा ने युवाओं को कौशल विकास से लेकर अंग्रेज़ी कोचिंग तक तरह तरह के प्रलोभन दिए।

केंद्र में साढ़े आठ साल की और राज्य में पांच साल की भाजपा सरकार के बाद नतीजा यह है कि राज्य में बेरोज़गारी का बुरा हाल है। मार्च, 2022 के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 8,77,507 युवा बेरोज़गार की तरह दर्ज हैं। पर बेरोज़गारों की असली संख्या इससे कहीं अधिक है। इसीलिए CMIE के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार बेरोज़गारी में हिमाचल प्रदेश देश में आठवें नंबर पर है। एजेंसी के अनुसार राज्य में बेरोज़गारी का प्रतिशत 9.2 प्रतिशत है। जो कि राष्ट्रीय औसत (7.9%) से बहुत अधिक है। राज्य में रिक्त पड़े सरकारी पदों को प्राथमिकता के साथ भरने का वादा करने वाली जयराम सरकार ने ऐसे करामात दिखाए हैं कि पांच वर्षों में रिक्त सरकारी पदों की संख्या भरने की जगह बढ़ गई है। और जयराम सरकार की करामात देखिए कि उन्होंने बेरोज़गारी के दौर में सरकारी पदों की संख्या भी घटा दी है। पशुपालन विभाग से शिक्षा विभाग तक के आंकड़े बताते हैं कि सरकारी पदों की संख्या घटी है।


भाजपा ने अपने 'दृष्टि पत्र' में राज्य के निजी संस्थानों में 80 प्रतिशत नौकरियां स्थानीय लोगों को दिलवाने का वादा किया था लेकिन सच यह है कि पिछले पांच साल में न केवल निजी संस्थानों में बल्कि सरकारी विभागों में भी लगातार बाहरी लोगों को ही रोज़गार मिला है। इनमें से अधिकांश नौकरियां देश भर के भाजपा-आरएसएस के नेताओं और कार्यकर्ता के रिश्तेदार और परिचित हैं। सरकार में आउटसोर्सिंग के पिछले दरवाज़े से बड़ी संख्या में बाहरी लोगों को नौकरियां दी हैं और करोड़ों रुपए आउटसोर्सिंग एजेंसियों को कमीशन के रूप में बांटे हैं।

आउटसोर्स बना कमीशन का सबसे बड़ा उद्योग

विधायक मोहन लाल ब्राक्टा, मुकेश अग्निहोत्री और विक्रमादित्य सिंह ने आउटसोर्सिंग और उन कर्मचारियों को नियमित करने का सवाल पूछा तो जवाब में कहा गया है कि प्रदेश में 12,165 लोगों को आउट सोर्स से नौकरी पर रखा गया है। इसमें भी भाजपा झूठ फैला रही है कि आउटसोर्सिंग से 30,000 लोगों को नौकरियां दी गई हैं।

इसमें यह भी जानकारी दी गयी है कि पिछले वर्ष लगभग 3000 कर्मचारी आउटसोर्स पर रखे गये हैं। इन कर्मचारियों पर 153,19,80,030 खर्च हो रहे हैं और इसमें से 130,10,21,806 कर्मचारियों को दिये जा रहे हैं और 23,09,58,224 इन्हें काम पर रखने वाली कंपनियां रख रही हैं।

यानी 23 करोड़ से अधिक की राशि सिर्फ कमीशन पर खर्च हो रही है। कमीशन पाने वाली इन कंपनियों की संख्या 94 हैं।



पिछली कांग्रेस की सरकार के दौरान आउटसोर्स वाले कर्मचारियों के आन्दोलन के बाद सरकार ने एक पश्लिसी जारी की थी उसमें इन्हें नियमित अवकाश आदि का लाभ दिया गया था।

इसमें यह भी कहा गया था कि भविष्य में कोई भी विभाग वित्त विभाग की पूर्व अनुमति के बिना आउटसोर्स पर कोई भर्ती नहीं करेगा।

अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार बदलने के बाद पिछली सरकार के दौरान रखे गये कर्मचारियों को हटाकर उनके स्थान पर यह 12165 लोग नये सिरे से रखे गये हैं? क्या इनके लिये वित्त विभाग से पूर्व अनुमति ली गयी है? इन लोगों को कितने समय के लिये रखा गया है? यदि सरकार के पास इनके लिये काम नियमित रूप से है तो फिर इन्हें नियमित रूप से ही नौकरी पर क्यों नहीं रखा गया है क्या आउटसोर्स कुछ लोगों को केवल कमीशन देने का एक माध्यम बनाया गया है। आउटसोर्स के नाम पंजीकृत कंपनियां जब कमीशन ले रही हैं तो उसका कितना हिस्सा मंत्रियों को गया?

निजी क्षेत्र के आंकड़े भी गोलमोल


यह तो रही बात सरकारी पदों पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से हो रही भर्तियों की। लेकिन सरकार गोलमाल निजी क्षेत्र की नौकरियों के आंकड़ों में भी कर रही है। विधानसभा में दिए गए जवाब के अनुसार पिछले पांच साल में 1,41,494 लोगों को नौकरी पर रखा गया है।

विधानसभा में सरकार का जबाब है कि प्रदेश में कुल केवल 11 उद्योग आये हैं और यह भी अभी अनुमतियों की स्टेज पर हैं।

सरकार ने जो देश और विदेश के स्तर पर जो इन्वेस्टमेंट मीट हुए उससे क्या परिणाम निकला इसके बारे में सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। कोई नया एमओयू भी नहीं हुआ है। ज़ाहिर है कि नये प्रस्तावित निवेश में अभी तक किसी को नौकरी मिलने की कोई सूरत नहीं है।

सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 2005-06 से 2017-18 तक प्रदेश में सरकारी और प्राईवेट सैक्टर में एक लाख से भी कम लोगों को नौकरी मिली। अब सरकार कह रही है कि 2017 से 31-7-2019 कुल 1,41,494 लोगों को निजी क्षेत्र में नौकरियां मिली हैं।

ऐसे समय में जब आंकड़े आ रहे हैं कि नोटबंदी और कोरोना के दौरान उद्योग धंधे चौपट हुए हैं और बहुत से कारोबार बंद हुए हैं, सरकार का यह दावा गले नहीं उतरता कि एक लाख से अधिक लोगों को रोज़गार मिला है। यह भी आंकड़ों की बाजीगरी और गोलमाल दिखता है।



युवाओं से ठगीरु पुलिस भर्ती पेपर लीक घोटाला




भारतीय जनता पार्टी और जयराम ठाकुर के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश के इतिहास का एक काला अध्याय जुड़ा। पुलिस भर्ती के पेपर लीक हुए। सरकारी नौकरी पाने के लालच में पता नहीं कितने ही लोगों ने 6 लाख से 8.25 लाख तक के पैसे देकर पर्चे खरीदे। पर्चा लीक का भंडाफोड़ होने पर पता चला कि यह कुलमिलाकर 250 करोड़ का घोटाला था। लेकिन इस घोटाले ने प्रदेश के दो लाख युवाओं के नौकरी पाने के सपनों पर पानी फेर दिया।

ज़ाहिर है कि हिमाचल की भाजपा सरकार के गृहमंत्री और भाजपा के नेताओं की सांठगांठ के बिना इतना बड़ा घोटाला नहीं हो सकता था। ये महज संयोग नहीं है कि राज्य के गृहमंत्री जयराम ठाकुर ही हैं जो मुख्यमंत्री के पद पर भी काबिज हैं।

हमारा आरोप है कि चूंकि इस घोटाले में खुद मुख्यमंत्री शामिल थे इसलिए न उन्होंने इसकी जांच नहीं होने दी और न इस घोटाले के शडयंत्र की जड़ तक पहुंचने की कोशिश की।

घोटाले की तथाकथा

वर्ष 2022 में लगभग 2 लाख युवकों ने पुलिस भर्ती परीक्षा में भाग लिया। पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ। लेकिन पेपर लीक की खबर पेपर संपन्न होने के 3 महीने बाद आई। इसके बाद पूरी भर्ती प्रक्रिया को कांग्रेस के दबाव में रद्द कर दिया गया।



इस तरह से पेपर बेचकर लगभग रु 250 करोड़ का फर्जीवाड़ा किया गया व प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। कहने के लिए सरकार ने जांच करवाई लेकिन संदिग्ध पाए गए अधिकारियों को भी जांच में शामिल कर लिया गया।

एक ओर राज्य सरकार ने कांग्रेस पार्टी के दबाव में सीबीआई को जांच सौंपने की घोशणा की लेकिन केंद्र सरकार के तोते के रूप में काम कर रही सीबीआई ने कभी जांच शुरू भी नहीं की। हाईकोर्ट में दायर याचिका भी इस आधार पर खारिज की गई कि सरकार ने सीबीआई जांच के लिए केंद्र को पत्र लिख दिया है। इस तरह से जयराम ठाकुर की सरकार ने माननीय हाईकोर्ट को भी झांसा दिया।

जांच पूरी, पता ही नहीं चला कहा गया २५० करोड़


जांच के दौरान पेपर लीक मामले के कुल 200 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया जिनमें अधिकांश वे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पेपर खरीदने के लिए पैसे दिए थे। अन्वेषण पूरा करके जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी गई है। उल्लेखनीय है कि जिन लोगों ने पेपर खरीदने के लिए पैसे दिए हैं वह सब अभी भी जेल में हैं लेकिन ये पैसे किन लोगों तक पहुंचे हैं इस विषय पर ना कोई जांच हुई है ना ही कोई गिरफ्तारी हुई है।

निश्चित ही यही कारण था कि जांच को सीबीआई को देने का नाटक किया गया लेकिन सीबीआई ने ये जांच स्वीकार तक नहीं की और जिन अधिकारियों को जांच के दायरे में आना था उन्ही के संरक्षण में जांच पूरी की गई।

250 करोड़ की लूट का पैसा कहा गया इस पर पुलिस प्रशासन और मुख्यमंत्री आंख मूंद कर बैठे हैं। यह एक साधारण बात है कि जब तक मनीट्रैल (डवदमलजतंपस) पूरी नहीं हो जाती तब तक जांच का निश्कर्ष कैसे निकाला जा सकता है?

स्पष्ट है कि पूरा मामला जानबूझकर दबाया गया है और वास्तविक अपराधियों को पकड़ने से गुरेज किया गया है। मुख्यमंत्री को इस बात की जरा भी चिन्ता नहीं हुई कि जिन लोगों ने घर बेचकर, जमीने बेचकर, कर्जे लेकर खुले विक्रय हो रहे पर्चों को खरीदा उनको जेल में डालकर वह जिम्मेवारी मुक्त नहीं हो सकते और जनता उनकी जवाबदेही तय करेगी।

कांग्रेस की सरकार पेपर लीक मामले की नए सिरे से जांच करवाएगी और यह पता लगाएगी कि इस घोटाले के पीछे कौन लोग थे, पेपर लीक करने से मिला पैसा किस-किस के पास पहुंचा। हमारा वादा है कि किसी को नहीं बख्शा जाएगा।



भर्तियों में घोटालों की सरताज बनी जयराम सरकार



पुलिस घोटाले में भर्ती अकेला मामला नहीं है जिसमें जयराम सरकार ने घोटाला किया और करोड़ों का न्यारावारा किया। पिछले पांच साल में ऐसे ढेर सारे मामले आए जिसमें पता चला कि जयराम सरकार तो दरअसल भर्ती घोटालों की एजेंसी बन गई है।

वैसे तो जनता जानती है पर कुछ उदाहरण हम जनता के सामने फिर से लाना चाहते हैं।



1. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय, क्लस्टर विश्वविद्यालय, मंडी, आईआईटी,मंडी, एनआईटी,हमीरपुर, आईआईआईटी,ऊना, मेडिकल कश्लेज, नेरचौक, हाइड्रो इंजिनियरिंग कालेज, बिलासपुर, एम्स,बिलासपुर व अन्य बड़े बड़े संस्थानों में बड़े पैमाने पर भर्तियां हुई हैं।

सबूत हैं कि इन सभी भर्तियों में बड़े पैमाने पर धांधली की गई। सिफारिश व भाजपा-आरएसएस से जुड़े लोगों को भर्ती करने के लिए यूजीसी मापदंडों को नजर अंदाज किया गया।

2. जून 2022 में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई जिस पर जुलाई 2022 में माननीय हाईकोर्ट ने यह कह कर रोक लगा दी कि इसमें यूजीसी नियमों की अवहेलना हुई है। इसी सरकार के कार्यकाल में इससे पहले भी दो बार हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में भर्ती प्रक्रिया हुई है जिसकी भर्तियां पहले ही संदेह के घेरे में है।
3. आउटसोर्स भर्तियों में मुख्य दो विधानसभा क्षेत्रों (मुख्यमंत्री व जलशक्ति मंत्री) से एक तरफा भर्तियां की गई।
4. सभी मंत्रियों ने अपने-अपने विभागों में अपने क्षेत्रों के अपनी पार्टी से जुड़े हुए लोगों को ही नौकरियां दी। शैक्षणिक योग्यता वह अनुभव को पूरी तरह से दरकिनार किया गया। आरक्षण रॉस्टर को भी पूरी तरह से दरकिनार किया गया।
5. तश्तीय श्रेणी व चतुर्थ श्रेणी की भर्तियों में बाहरी राज्यों के भाजपा से जुड़े लोगों को नौकरियां दी गई।



6. विश्व बैंक, जायका, एडीबी द्वारा वित्तपोषित व सहकारी सभाओं में चोरदरवाजे से भर्तियां की गईं।
7. सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में ठेके पर चोर दरवाजे से भर्तियां की गईं जिनका कार्य राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ सोशल मीडिया के माध्यम से दुश्प्रचार करने के लिए किया जा रहा है।
8. खादय आपूर्ति मंत्री की पत्नी को 50: न्यूनतम अंको में, विशेष छूट देकर प्रवक्ता बनाया गया। जबकि ऐसे हजारों कर्मचारियों की पदोन्नति न्यूनतम 50: अंक न होने के कारण नहीं हुई।
9. सभी विभागों में विशेषकर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में नियमों को ताक पर रखकर पदोन्नतियाँ दी गईं।
10. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता ना होते हुए भी सत्तासीन नेताओं ने अपने चहेतों को शिक्षा विभाग में वोकेशनल ट्रेनर नियुक्त किया।
11. जेओए आईटी, नर्सिंग, जेबीटी के पेपर लीक हुए।



बागवानों का शोषण करती रही जयराम सरकार



हिमाचल में सेब का 5,500 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार है। सेब की बागवानी से प्रदेश भर में लगभग 11-12 लाख लोग प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। भाजपा के पिछले पांच साल के शासनकाल में सेब उत्पादकों की जो दुर्गति हुई है वह पीड़ादायक है। इसीलिए सेब उत्पादकों को सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करना पड़ा।

एक ओर से सेब की खेती में लागत मूल्य में लगातार बढ़ोत्तरी हुई है। खाद, कीटनाशक और फफूंदनाशक से सब्सिडी खत्म कर दी गई और उनके दाम भी लगातार बढ़े हैं।

दूसरी ओर कृषि यंत्रों पर जीएसटी लगने से भी बहुत बोझ बढ़ा है। इतने दुख मानों कम थे, भाजपा की केंद्र सरकार ने पैकेजिंग मटेरियल पर जीएसटी 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दिया।

दूसरी ओर अडानी के आने से सेब का बाजार बहुत बिगड़ गया है। हिमाचल में कुल 6।25 लाख टन सेब का उत्पादन होता है जिसमें से अडानी एग्री फ़रेश सिर्फ़ 25,000 टन ही सेब ख़रीदती है




लेकिन पिछले पांच साल में ऐसा हो गया है कि पूरे सेब बाज़ार के दाम इस बात से तय होने लगे हैं कि अडानी की कंपनी किस दर पर सेब ख़रीदती है।

किसान शिकायत कर रहे हैं कि पांच साल पहले यानी 2017 में अडानी की कंपनी ने सेब के दाम 85 रुपए तय किए थे लेकिन वही कंपनी 2022 में सिर्फ़ 76 रुपए में सेब ख़रीदती है।

भाजपा सेब उत्पादकों को लेकर उपेक्षा का ही भाव रखती है तभी तो उसने 2017 के अपने घोषणा पत्र में कोई वादा नहीं किया था और पूरे पांच साल किसानों का शोषण करती रही। और मोदी जी के मित्र अडानी का साथ देती रही।

सेब उत्पादकों की हड़ताल के बाद चुनाव से दो महीने पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक समिति बनाई है। पांच साल जयराम सरकार सोती रही और अब जागने का अभिनय कर रही है। सेब उत्पादक जानते हैं और जनता जानती है कि किसानों से दुश्मनी और अडानी से दोस्ती का मतलब क्या है।



आपदा में लूट करती रही जयराम सरकार

जिस समय पूरे देश के साथ हिमाचल प्रदेश भी कोरोना महामारी के कारण त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा था, उसी समय हिमाचल की जयराम सरकार और भाजपा के नेता लूट-खसोट में लगे हुए थे। सरकार में बैठे लोगों और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारियों ने पीपीई किट, सैनेटाइज़र्स और यहां तक कि दवाइयों में तरह तरह के घोटाले किए। घोटाला करने वालों को संरक्षण दिया।


प्रधानमंत्री जी ने 'आपदा में अवसर' का जुमला उछाला था और जयराम सरकार तथा भाजपा के नेताओं ने इसे 'लूट के अवसर' में बदल लिया।



पीपीई किट घोटाला

करोड़ों रुपये के पीपीई किट खरीद घोटाले ने न सिर्फ मानवता को शर्मशार किया बल्कि देवभूमि का नाम पूरे देश में बदनाम कर दिया।

जब जनता कोरोना जैसी महामारी से जूझ रही थी तब जयराम सरकार के नेता पीपीई किट खरीदने के बहाने करोड़ों रु का घोटाला करने में व्यस्त थे।



घोटाले की परतें एक कथित अशुद्धि क्लिप से खुलीं। इसमें स्वास्थ्य विभाग का निदेशक 5 लाख की रिश्वत मांग रहा था। और यह रिश्वत भाजपा नेता के करीबी से मांगी जा रही थी।

स्वास्थ्य निदेशक का कार्यकाल उसी महीने समाप्त होने वाला था लेकिन भाजपा के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल की सिफारिश के चलते इसे 3 महीने का सेवा विस्तार दी गई थी।

जब मामले ने तूल पकड़ा और कांग्रेस के दबाव में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष को ना सिर्फ इस्तीफा देना पड़ा बल्कि इसमें विजिलेंस जांच भी हुई।

लेकिन बाद में उस जांच को भी दबा दिया गया।

जो कंपनी अस्तित्व में नहीं, उससे खरीदी औनेपौने दाम में पीपीई किट

पीपीई किट पहले पंजाब के मोहाली स्थित कंपनी वायओ एड से 6000 किट्स 1400 रुपए प्रति किट की दर से 84 लाख में खरीदी।

इसके बाद दूसरी बार कुरुक्षेत्र स्थित कंपनी बंसल कार्पोरेशन से 7000 किट 10400 रुपए प्रति किट की दर से 73.5 लाख में खरीदी।

इसके बाद 21 अप्रैल को भी पीपीई किट की खरीद के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई थीं जिसे बाद में रद्द किया गया और तब जाकर सरकारी उपक्रम एचएलएल से खरीद का निर्णय लिया गया।

उल्लेखनीय है कि जिस कंपनी से 73.5 लाख की खरीद की गई है वह इस नाम से वहां मौजूद ही नहीं है।

कुरुक्षेत्र में बंसल सेल कार्पोरेशन और बंसल पशलिमर्स नाम से दो कंपनियां हैं जो पीपीई किट का काम भी नहीं करती हैं।


इस मामले की जांच के दौरान वायओ एड के जीएस कोहली से पूछताछ की गई लेकिन बंसल कार्पोरेशन से लेकर कोई पूछताछ नहीं हुई। जबकि दोनों के रेट में 350 रुपए प्रति किट का अंतर है। संदेह तो यह भी है कि बंसल कार्पोरेशन का भी कोई अस्तित्व नहीं है।

सैनेटाइज़र और स्वास्थ्य उपकरण खरीदी में भी घोटाला

इसी तरह कोविड काल में सैनिटाइज़र घोटाले को अंजाम दिया गया जिसमें भी एक एफआईआर दर्ज हुई।

कोरोना काल में करोड़ों रुपये के खरीदे गए स्वास्थ्य उपकरणों में भारी मात्रा में वित्तीय अनियमितताएं पाई गई हैं।

खरीद के दौरान गुणवत्ता से समझौता किया गया परन्तु सरकार ने जांच तक करवाना उचित नहीं समझा।



इसी तरह कोविड काल में दवाईयों की गुणवत्ता को लेकर समझौता किया गया जिसका खुलासा 31 मार्च 2018 को आयी कैंग रिपोर्ट से हो जाता है।

कैंग की रिपोर्ट में कहा गया है, "व्यावहारिक रूप से दवाओं की क्वालिटी कंट्रोल का काम हो ही नहीं रहा था। सप्लाई के समय दवाओं के सैंपल नहीं लिए गए और अगर जांच की भी गई तो रिपोर्ट आने से पहले उसे मरीजों को दे दिया गया, इसका परिणाम यह हुआ कि दोगम दर्जे की दवाएं लोगों को बांट दी गई।"

आम आदमी के स्वास्थ्य के साथ इससे बड़ा खिलवाड़ और कुछ नहीं हो सकता। कैंग की यह रिपोर्ट विधानसभा पटल पर भी रखी जा चुकी है लेकिन सरकार की ओर से इस पर आज तक कोई कारवाई नहीं की गई है।

कांग्रेस सरकार इस पूरे घोटाले की नए सिरे से जांच करवाएगी और चाहे वह भाजपा का नेता हो या फ़र्जी कंपनियों, हम सब पर कार्रवाई करेंगे।

बिजली विभाग में ठेकेदारों के ज़रिए


लूटे गए करोड़ों

जयराम ठाकुर के पांच साल के मुख्यमंत्रित्व काल में शायद ही ऐसा कोई विभाग बचा हो, जहां घोटाला नहीं हुआ हो।

बिजली विभाग में इससे अछूता नहीं रहा। ठेकेदारों के साथ सांठगांठ करके सत्तारूढ़ दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने करोड़ों रुपए कमाए। इस कमाई का कितना हिस्सा मुख्यमंत्री और मंत्रियों को गया यह जांच का विषय है।

बिजली विभाग के कुछ प्रमुख घोटाले

1. कैंग के मुताबिक राज्य सरकार के उपक्रम हिमाचल प्रदेश पश्वर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड (एचपीटीसीएल) ने तीन सालों के दौरान 41 परियोजनाओं का निष्पादन किया। जिनमें से 14 परियोजनाओं की कैंग ने जांच की तो पता चला कि 6 परियोजना का काम अनुमोदन के 15 से 40 माह देरी से सौंपा गया। एक अनुबंध में कार्य सौंपे जाने के बाद विरोधाभासी प्रावधान एवं मूल्य विचलन खंड शामिल करने के कारण ठेकेदार को 12।25 करोड़ रुपए का अनुचित लाभ दिया गया। एचपीटीसीएल ने सड़क चौड़ा करने पर 2 करोड़ का अस्वीकृत भुगतान तथा 24।57 करोड़ रुपए जीएसटी का ऐसा भुगतान किया, जिसे टाला जा सकता था।



2. करोड़ों रुपये के आईपीडीएस कार्य में सत्तापोषित ठेकेदारों से खरीद के मनमाने दाम दिए गए। जबकि आईपीडीएस कार्य में घटिया स्तर की सामग्री का उपयोग हुआ। काम बहुत ही निम्न स्तर का रहा।


आईपीडीएस कार्य के सामग्री खरीद व क्रियान्वन का ठेका मुख्यतः भाजपा पदाधिकारियों को ही मिला व इस निम्न स्तर की सामग्री को उच्च स्तर की सामग्री के दाम दिए गए। इस कार्य के क्रियान्वन में कई प्रकार की धांधलियाँ की गईं।

3. कश्मन पूल टेंडरिंग के जरिए एक बहुत बड़ी धांधली को अंजाम दिया जा रहा है। इस धांधली में भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल हैं। भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता ठेकेदार के रूप में निविदाएं देते रहे और एक समूह बनाकर खुद ही दाम तय करते रहे। विभाग में किसी कार्य के क्रियान्वन के लिए कम से कम तीन निविदाएं आमंत्रित होती हैं। ये तीनों निविदाएं एक ही समूह अलग अलग व्यक्ति के माध्यम से करता रहा और जो दाम लगाए जाते रहे वह पहले से ही फिक्स होते थे। इस तरह से सभी विभागों में करोड़ों रुपये की चपत सरकारी खजाने को लगाई गई है। राजनीतिक दबाव के चलते अधिकारी चुप रहे।


4. लो वोल्टेज व जीएससी योजना के अंतर्गत भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को अपात्र होते हुए भी राजनीतिक दबाव में मुफ्त खम्बे व मुफ्त विद्युत लाइनें बिछाई गईं जिससे सरकारी खजाने में करोड़ों रुपये की चपत लगी।

5. विभाग में बड़े पैमाने पर घटिया गुणवत्ता की सामग्री, उच्च गुणवत्ता की सामग्री के दामों पर ठेकेदारों से खरीदी गई। और करोड़ों रुपये के घोटाले को अंजाम दिया गया।

6. सोंग टोंग कड़छम परियोजना में एक डंपिंग कार्य में ठेकेदार को 396 करोड़ रुपये का अनुचित लाभ दिया गया।



पीडब्लूडी में भी करोड़ों का घोटोला



- 1 कैंग के मुताबिक लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क निर्माण पर 2.73 करोड़ का निरर्थक व्यय किया गया, क्योंकि इसके लिए पहले वन मंजूरी नहीं ली गई और विस्फोटक सामग्री उपलब्ध कराने में देरी की गई।
- 2 विभाग द्वारा सड़क बनाने में बेहद ही घटिया सामग्री का उपयोग किया गया और प्रदेश की काफी सड़कें एक बरसात भी नहीं झेल पाईं। जबकि सामग्री के लिए ठेकेदारों को सर्वोत्तम गुणवत्ता की सामग्री के दाम दिए गए।
- 3 केवल भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को फायदा पहुंचाने के एकमात्र उद्देश्य से ऐसी जगह दीवारें (रिटेनिंग वल) बनाई गईं जहां उनकी जरूरत नहीं थी। और कुछ जगह ऐसा देखा गया कि पहले रिटेनिंग वल बनाई गईं बाद में उन्हें तोड़ा गया। इससे सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का घाटा हुआ।




4. कश्मन पूल टेंडरिंग के जरिए एक बहुत बड़ी धांधली को अंजाम दिया गया। इस धांधली में भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल थे। भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता ठेकेदार के रूप में निविदाएं देते रहे और एक समूह बनाकर खुद ही दाम तय करते रहे।
5. विभाग में बड़े पैमाने पर घटिया गुणवत्ता की सामग्री, उच्च गुणवत्ता की सामग्री के दामों पर ठेकेदारों से खरीदी गई और करोड़ों रुपये के घोटाले को अंजाम दिया गया।
6. आरटीआई के अंतर्गत ली गई सूचना में यह खुलासा हुआ है कि ठेकेदारों के रूप में काम कर रहे भाजपा नेताओं को फायदा पहुंचाने के लिए निविदाओं में कटिंग की जगह खुदाई की आइटम को दर्शाया गया है क्योंकि खुदाई की आइटम के दाम कटिंग के आइटम से ज्यादा होते हैं।

जाहिर है ऐसा केवल भाजपा नेताओं को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया।

जलशक्ति बना धन शक्ति विभाग

1. कैंग के मुताबिक जल शक्ति विभाग ने एक फर्म को 19।52 करोड़ रुपए का अनुचित लाभ दिया है। यह लाभ कांगड़ा जिला में फिन्ना सिंह प्रोजेक्ट बनाने वाली फर्म को दिया गया है। फर्म को गैर-मापित कार्य के लिए भुगतान किया गया है। फर्म को बिना किसी आधार के उच्च दरों पर काम दिया गया। एक कार्य के लिए तो 1।72 करोड़ की जगह ठेकेदार को 10।97 करोड़ का भुगतान किया गया।
2. प्रदेश में बहुचर्चित पाइप खरीद घोटाले को अंजाम दिया गया। इसमें नियमों को ताक पर रख कर घटिया गुणवत्ता की पाइपों को बहुत ही ज्यादा उच्च दामों पर खरीदा गया। और सरकारी खजाने से करोड़ों रुपये लुटे गए।
3. भाजपा नेताओं को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से एक ही जगह कई पाइपें अलग-अलग बिछाई गईं जबकि एक ही पाइप के प्रयोग से भी पानी वितरित किया जा सकता था। इससे सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ा।
4. जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत हुई खरीद में करोड़ों का घोटाला हुआ।
5. कश्मन पूल टेंडरिंग के जरिए जल शक्ति विभाग में एक बहुत बड़ी धांधली को अंजाम दिया जा रहा है। इस धांधली में भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल हैं।
6. जल शक्ति विभाग व खाद्य आपूर्ति निगम 2500 करोड़ रुपये की घटिया किस्म की पाइप खरीदने के लिए जिम्मेदार है।
7. गुधर व एएसटी नाम की कंपनियों से स्क्रेप से निर्मित पाइप खरीदी गईं जिनकी पाइप बनाने की बहुत कम क्षमता है।




8. जल शक्ति विभाग में ऐसे पैरा-फिल्टर व पैरा-प्लंबर भी भर्ती कर दिए जिनके पास आईटीआई का डिप्लोमा भी नहीं है।
9. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में सिर्फ सिराज, धर्मपुर व जोगिंद्रनगर क्षेत्रों में ही योजनाएं स्वीकृत की गईं।
10. शिमला क्लीनवेज द्वारा फर्जी अनुभव प्रमाण पत्रों के आधार पर इन पदों व मल्टी पर्पज वर्कज की नियुक्तियां की गईं। इन पदों की भर्ती में संविधान को दरकिनार कर के गरीब व कमजोर वर्ग के लिए कोई भी पद आरक्षित नहीं थे।

शिमला क्लीनवेज द्वारा जारी किए गए अनुभव प्रमाणपत्र को मान्य किया गया परन्तु जलशक्ति विभाग में कई युवाओं ने ठेके के आधार पर कई परियोजनाओं में काम किया था लेकिन उनके अनुभव प्रमाण पत्र को दरकिनार किया गया।

खाद्य आपूर्ति विभाग बना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी

1. ई-पॉश मशीन खरीद में 30 करोड़ का घोटाला।
2. उचित मूल्य की दुकानों में मिलने वाला राशन में भारी मात्रा में गड़बड़ी पाई गई है खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बहुत ही निम्न स्तर की रही है और कुछ चहेते ठेकेदारों को ठेके दिए गए हैं। जिसके कारण खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता गिरी है।
3. टेंडर किए बिना चहेते सप्लायरों से करोड़ों रुपयों का सामान खरीदा जिससे सरकार और उपभोक्ताओं को चूना लगा। अनियमितताएं भी बहुत हुई हैं।
4. हिमाचल में खाद्य आपूर्ति विभाग में गैस सिलेंडर की घर-घर सप्लाय के लिए टेंडर प्रक्रिया को लेट किया जिसके बारे में उच्च न्यायालय ने भी आदेश कर रखे थे। इससे भी प्रदेश को करोड़ों का घाटा हुआ। गाड़ियां किराए पर लेने का टेंडर बीच समयावधि में ही रद्द करके ऊंचे दाम पर चहेतों की गाड़ियां किराये पर ली गईं।
5. घुमारवीं के सिविल अस्पताल की रोगी कल्याण समिति तथा राजकीय कश्लेज की हायर एजुकेशन सोसाइटी में भारी अनियमितताएं हुई हैं।
6. खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में घटिया आटा व दाल सप्लाय करने वाली जिन कंपनियों के सैंपल फेल हो चुके थे उन कंपनियों को फिर से सप्लाय का आर्डर दिया।
7. भाजपा के शासनकाल में सरकारी संपत्ति को कौड़ियों के भाव अपने चहेतों को सस्ती दरों पर दिया गया। बैंक डोर से खाद्य आपूर्ति निगम, कृषि विभाग तथा डीआरडीए की संपत्तियां चहेतों में बांटी गईं।
8. कुल्लु में एक उपभोक्ता को सस्ते राशन की दुकान से ऐसा आटा सप्लाय किया गया है जो बैग में भी सीमेंट की तरह जमा हुआ था।




इस उपभोक्ता ने इस आटे का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में शेयर किया था। मजे की बात यह है कि यह कुल्लु की ही एक प्लोर मिल से राशन की दुकान पर गया है। बैग पर इस मिल का नाम महान रोलर प्लोर मिल साफ पढ़ा जा सकता है और यह सप्लाई हिमाचल सरकार को गयी है। यह भी बैग पर साफ लिखा है।

यह आटा किसी भी तरह खाने योग्य नहीं है। इस पर क्या कारवाई हुई है यह अभी तक सामने नहीं आया।

9. भाजपा शासन के दौरान सैकड़ों करोड़ का चीनी घोटाला किया गया। अपने पसंद के सप्लायर्स को काम देने के लिए पूर्व निर्धारित सभी नियमों को बदल दिया गया।

नियम जो बदल दिए गए

क्रमांक संख्या	कांग्रेस	बीजेपी
1	बिडर द्वारा जमा करने वाली राशि रु 5,000 निविदा की लागत के रूप में रु 50,000 रुपये निविदा प्रसंस्करण शुल्क रु 50लाख रुपये बयाना राशि	सभी शर्तें माफ
2	आपूर्ति में देरी के मामले में निम्नलिखित दरों पर हरजाना वसूलने का प्रावधान था 1% पहले सप्ताह के लिए 2% दूसरे सप्ताह के लिए 5% तीसरे सप्ताह के लिए 5: 10% चौथे सप्ताह के लिए 10:	चीनी मिलों पर ऐसा कोई शुल्क नहीं लगाया गया
3	आदेशित चीनी की लागत के 7.5% के बराबर निष्पादन सुरक्षा शुल्क जमा करना आवश्यक था जो आमतौर पर डिमांड ड्राफ्ट के रूप में करोड़ों में था।	ऐसी कोई शर्त नहीं
4	क्षेत्र प्रबंधक से आपूर्ति की पुष्टि के बाद भुगतान का 95% जारी किया गया था और आपूर्ति की प्राप्ति के प्रमाण पर निविदाकार को 5% जारी किया गया था।	आवंटित चीनी मिलों को लगभग 13 करोड़ रुपये प्रतिमाह चीनी लागत का अग्रिम भुगतान किया गया



क्रमांक संख्या	कांग्रेस	बीजेपी
5	स्टॉक प्राप्त होने के बाद, खाद्य और नागरिक आपूर्ति और निगम द्वारा नमूने लिए गए थे और यदि नमूना विफल हुआ तो खेप को रोक दिया गया था और एक सप्ताह के भीतर बदलना आवश्यक था।	सैंपलिंग और पेनल्टी का प्रावधान नहीं
6	अगर स्टॉक अच्छी गुणवत्ता का नहीं पाया गया या नमीयुक्त हुआ तो अपने खर्चे पर स्टॉक को बदलने की जिम्मेदारी अपूर्तिकर्ता की।	ऐसे मामले में स्टॉक को बदला जाना था लेकिन परिवहन शुल्क नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा वहन किया जाना था

सरकार करती रही खनन माफिया की तरह काम

प्रदेश में पिछले पांच साल समय खनन माफिया सक्रिय रहा और सरकार खनन माफिया की तरह ही काम करती रही।

खड्डों में अवैध खनन होता रहा जिससे सरकार के राजस्व को करोड़ों का चूना लगा। प्रदेश में कई जगह बिना नंबर के ट्रेक्टर, टिपर इत्यादि बिना रोक टोक घूमते रहे और अवैध खनन को अंजाम देते रहे। एसीसीसीएफ चीफ तो अपने बयान में यहां तक बोल चुके हैं कि नेताओं के संरक्षण में अवैध खनन हो रहा है।

प्रदेश के हर भाग में अवैध खनन की खबरें सोशल मीडिया एवं अखबारों के माध्यम से प्रतिदिन आती रहीं। लेकिन सरकार इस पर अपने कान बन्द किए रही। न कोई जांच न करवाई।


जंगल की अवैध कटान बनी सरकार की पहचान

प्रदेश में सरकार पोशित वन माफिया पूरे पांच साल सक्रिय रहा। अवैध कटान इस सरकार की परंपरा ही बन गई।

पूरे प्रदेश में व्यापक पैमाने पर अवैध कटान हुआ है। अभी नाचन विधान सभा क्षेत्र में स्थानीय विधायक के घर से 100 मीटर दूर हजारों पेड़ अवैध रूप से काट दिए गए। पेड़ काटने के बाद इसे छुपाने के लिए उस जगह अवैध खनन किया गया।

यही हाल प्रदेश के दूसरे हिस्सों का भी है। लोग बताते हैं कि हजारों के संख्या में पेड़ों का अवैध कटान दिन दहाड़े जारी है।

कांग्रेस की सरकार इन सभी अवैध कटान की जांच करवाएगी और दोषी लोगों को सजा दिलवाएगी।



शिक्षा विभाग बना आरएसएस भर्ती विभाग


1. हिमाचल प्रदेश के सरकारी अभियंत्रिकी महाविद्यालयों में प्रोफेसर की चयन प्रक्रिया में बहुत भारी अनियमितता की गई। इन महाविद्यालयों में ऐसे लोगों को भी प्रोफेसर बना दिया गया है जिनके पास ना तो असिस्टेंट प्रोफेसर और ना ही प्रोफेसर होने का अनुभव था और ना ही उनका वेतनमान इन दोनों के स्तर का था।
2. कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर को नियमों को दरकिनार करके पीएचडी करने की अनुमति दे दी गई जबकि उन्होंने 5 साल की नियमित सेवा पूरी नहीं की थी। यह सीधे-सीधे सीसीएस नियमों का उल्लंघन है।
3. खाद्य आपूर्ति मंत्री की पत्नी को 50: न्यूनतम अंको में, विशेष छूट देकर प्रवक्ता बनाया गया। जबकि ऐसे हज़ारों कर्मचारियों की पदोन्नति न्यूनतम 50: अंक न होने के कारण नहीं हुई।
4. शिक्षा विभाग में स्कूली बच्चों को जो वर्दियां देने के लिए टेंडर किया गया था वह दो वर्ष के लिए था और वह 2021 में समाप्त हो जाना था लेकिन उसे 2022 तक बढ़ा दिया गया। इसमें कोई भी टेंडर फिर से नहीं किया गया जबकि टेंडर समाप्त हो जाने के बाद फिर से टेंडर होना था। इसमें एलकृ1 एलकृ2 से भी कोई बात नहीं की गई। यह मामला 60 करोड़ रूपयों का बनता है।

गौवंश की दयनीय हालत

भाजपा सरकार के कार्यकाल में हज़ारों गौवंश की तड़प-तड़प कर मौत हो गई। कुछ विधानसभा क्षेत्रों से गौवंश ट्रकों में भरकर इधर-उधर भेजा गया। ट्रकों में भर भर कर भेजने से काफी गौवंश ट्रक में ही मर गए।

जनवरी 2022 में मनाली के रांगड़ी गौसदन में 30 से अधिक गौवंश की मौत हुई जबकि अक्टूबर 2021 में नालागढ़ के हांडा खुन्डी काऊ सेंचुरी में 180 गौवंश की मौत हुई।

गाय को लेकर राजनीति करने वाली भाजपा और आरएसएस ने गौवंश की इन हत्याओं पर चुप्पी साधे रखी। न इसकी जांच हुई और न किसी पर कार्रवाई।




जनता के साथ वादाखिलाफी

हिमाचल भाजपा के लंबे समय से जो मुद्दे थे वो केंद्र व राज्य में भाजपा सरकारें बन जाने के बाद गायब हो गए

1. नदियों के पानी पर रशयल्टी
2. ग्रीन बोनस
3. प्रदेश को कर्जामुक्त करना
4. पठानकोट और भानूपुली से लेह रेलवे लाईन का निर्माण
5. बीबीएमबी से प्रदेश का शेयर लेना
6. भाखड़ा व पौंग बांध विस्थापितों के भूमि विवादों का समाधान
7. घोशित 70 उच्च मार्गों का निर्माण
8. भूमि अधिग्रहण के लिए फैक्टर टू (मार्केट रेट से चार गुना मुआवजा देना) लागू करना
9. हिमाचल रेजिमेंट का गठन करना
10. चंबा सुंदरनगर में सीमेंट प्लांट स्थापित करना
11. पड़ोसी राज्यों की तुलना में सस्ता सीमेंट देना
12. किसानों को लागत मूल्य से दोगुना मूल्य सुनिश्चित करना
13. भ्रष्टाचार मामलों में जीरो टोलरेंस
14. समान आचार संहिता लागू करना
15. आरक्षण समाप्त करना
16. जनसंख्या नियंत्रण के लिए कदम उठान

अन्य मामले

- मंडी जिला में निर्माणाधीन शिवधाम में टेंडर प्रक्रिया के नियम अनुसार कार्य नहीं हुआ । सिर्फ दो कंपनियों जेनेरिक इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन एंड प्रोजेक्ट लिमिटेड मुंबई तथा कुणाल स्ट्रक्चर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को यह काम 36 करोड़ 12 लाख 67 हजार 9 रुपए में अवार्ड हुआ जबकि इसकी लागत 18 करोड़ 8 लाख 68 हजार 615 रुपए में तय हुई थी ।
- बिजली बोर्ड के चीफ इंजीनियर (एमएम) एम के उपरेती ने 21 अक्टूबर 2020 में जीओ स्विच खरीदने के लिए 2 करोड़ रुपए का अवार्ड मैसर्स सूर्या इलैक्ट्रिक एंड क्रीमिक्स कंपनी को दिया । जो सामान खरीदा गया वह घटिया गुणवत्ता का था व वास्तव में जिसका वजन




12 किलो के स्थान पर 6 किलो ही था। और खरीदा गया समान अभी तक भी उपयोग नहीं किया गया है। उपरोक्त चीफ इंजीनियर विद्युत मन्त्री के ओएसडी का छोटा भाई है। उसे दोशी पाए जाने के बावजूद चीफ इंजीनियर से डायरेक्टर पद पर पदोन्नत कर दिया।

- जिला सिरमौर में विद्युत मीटर बदलने का अवार्ड एमके उपरेती ने 2572 रुपए प्रति मीटर की दर से दिया। जबकि इसी काम का अवार्ड विद्युत मंडल बड़सर में 65 रुपए प्रति मीटर की दर से हुआ। धांधली क्यों और किसके कहने से हुई यह जांच का विषय है।
- सरकार ने नियम बनाए हैं कि किसी भी ठेकेदार को एक समय में दो से ज्यादा ठेके नहीं दिए जाएंगे और बड़े ठेकेदारों को एक श्रेणी नीचे के काम ले सकने के नियम हैं।

इन नियमों का घुमारवीं लोक निर्माण व जल शक्ति मंडल में मंत्री के चहेतों ने खुला उल्लंघन किया। टेंडर पूल कर सरकार को करोड़ों का चूना लगाया। जिला भाजपा महासचिव व खाद्य आपूर्ति निगम के गैर सरकारी सदस्य ने पत्नी के लिए सपोर्टिंग टेंडर और पत्नी से अपने लिए सपोर्टिंग टेंडर डाल कर उच्च दरों पर काम लिए। घुमारवीं मंडलों में कई ऐसे टेंडर लगाए जो धरातल पर नहीं हुए लेकिन चहेते ठेकेदारों को भुगतान कर दिया।

- बगलामुखी रोपवे निर्माण में भारी पक्षपात के साथ-साथ केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों का भी उलंघन किया गया। उपरोक्त रोपवे कारपोरेशन ने बहुत से कार्य बिना बोली प्रक्रिया के अपनी पसंदीदा कंपनी को दिए। जो कि सीधे-सीधे नियमों का उलंघन है। जिस कंसल्टेंट ने टेंडर तैयार किया उसी को कार्य दे दिया गया।
- कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक में चेयरमैन द्वारा किया गया भ्रष्टाचार सामने आया लेकिन सरकार उस पर खामोश रही। बैंक ने मनाली की एक पर्यटन इकाई को 65 करोड़ का लोन स्वीकृत करने का मामला जांच का विषय है। इसमें सात करोड़ की एक किश्त ऋणकर्ता को कांगड़ा बैंक की राजकीय महाविद्यालय, उना की ब्रांच से जारी की गई उसके बाद बीस करोड़ की एक किश्त का भुगतान कर दिया गया।
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग बजट उपलब्ध होने के बावजूद प्रदेश के पांच अस्पतालों में ट्रश्मा सेंटरों का निर्माण नहीं कर पाया, जबकि विभाग के पास इसके लिए 10.61 करोड़ की राशि लंबित रही। कैंग के मुताबिक अस्पताल प्रबंधन के पास 7.81 करोड़ का बजट अढ़ाई साल से पौने पांच साल तक खर्च नहीं किया जा सका। ट्रश्मा सेंटर का निर्माण टांडा, मंडी, हमीरपुर, चंबा और रामपुर में किया जाना था।





सरकार बदलो हालात बदलो



कांग्रेस को जिताएं